न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 55/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
शिवाराम पुत्र श्री मुलाराम, जाति पटेल, निवासी ग्राम डोली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01 शंकरराम पुत्र श्री खेमारामजी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर । 02 पुरखाराम पुत्र श्री बस्तीराम 03 ओमाराम पुत्र श्री तिलोकराम 04 रामाराम पुत्र श्री तिलोकराम 05 मदाराम पुत्र श्री तिलोकराम, जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 06 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या छः की ओर से राजकीय अभिभाषक ।

आदेश

दिनांक :– 6/1/2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 06 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी में स्थित हैं । ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 06 की भूमि के चिपते ही दक्षिण दिशा की तरफ खसरा संख्या 286 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि स्थित हैं व इस खसरा संख्या 286 के पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं जो कि डोली से नारनाडी जाने वाली सड़क के नाम से जानी जाती हैं । खसरा संख्या 286 अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसका कुल रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा हैं जिसमें से रकबा 01 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक के नाम से दर्ज हैं एवं शेष सम्पूर्ण रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण संख्या दो से पांच के नाम से दर्ज है । प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 06 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 286 की भूमि में से ही कटाणी रास्ते से आना जाना पड़ता हैं जो कि कटाणी रास्ते से खसरा संख्या 286 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे होकर खसरा संख्या 06 में पहूंचते हैं इस रास्ते के अलावा कटाणी रास्ते से होकर खसरा संख्या 06 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं एवं यहीं सबसे निकटतम एवं लघुतम मार्ग हैं । प्रार्थी ने खसरा संख्या 286 के खातेदारान अप्रार्थीगण के समक्ष खसरा संख्या 286 की भूमि की उत्तरी माठ के सहारे 15 फुट चौड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम उपलब्ध करवाने की मांग की परन्तु वे ऐसा करने से साफ इंकार हो गये । वर्तमान में खसरा संख्या 06 की भूमि पर प्रार्थी की फसल खड़ी हैं अप्रार्थीगण ने अकस्मात दिनांक 20.07.2017 को अकस्मात सड़क की तरफ कांटे

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

डालकर खसरा संख्या 286 की उत्तरी माठ के सहारे चलने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है एवं प्रार्थी को कह दिया कि उन्हे रास्ता चाहिये तो कोर्ट मे जाओ वरना प्रार्थी को इस रास्ते से आवागम नही करने देंगे । प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 06 की भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ही नही है एवं रास्ते के अभाव मे प्रार्थी के लिये अपनी भूमि खसरा संख्या 06 की भूमि पर काश्त करना एवं अवेरना मुश्किल हो गया हैं इन परिरिथतियमों मे प्रार्थी को उपर्युक्त रास्ता खसरा संख्या 286 मे से इनके उत्तरी माठ के सहारे सहारे कटाणी रास्ते से प्रार्थी के खसरा संख्या 06 तक 15 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जाना नितान्त आवश्यक हैं । प्रार्थी खसरा संख्या 286 मे से रास्ते हेतु उपलब्ध करवाई जाने वाली भूमि की सरकारी कीमत जो भी होगी अदा करने हेतु तैयार हैं । प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा हैं तथा प्रस्तावित रास्ते को लाल रंग से दर्शाया गया हैं तथा ए से बी मार्क किया गया हैं जो कि इस नजरी नक्शें को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावें एवं अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 06 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ते से खसरा संख्या 286 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 06 तक पहूंचने हेतु संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार ए से बी भाग तक 15 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जावें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर तामिल होने पर अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जवाब पेश किया गया । अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के कथनो का खण्डन किया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

प्रकरण में तहसीलदार लूणी से मौका रिपोर्ट चाही गयी जिस पर कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/भू.अ./2019/358 दिनांक 11.02.2019 को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट पेश की गयी जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा ऐतराज पेश किया गया जिस पर पुन मौका रिपोर्ट तहसीलदार लूणी से चाही गयी जिस पर कार्यालय तहसीलदार लूणी, द्वारा पुनः जरिये कमांक/भू.अ./2020/4637 दिनांक 06.03.2020 को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी ।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लूणी द्वारा जो दोनो तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं उसके अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शें में दर्शाये गये रास्ता ए से बी जो कि खसरा संख्या 286 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे होकर चाहा गया हैं उक्त प्रस्तावित रास्ता ए से बी को ही कटाणी रास्ते से प्रार्थी की भूमि तक पहूंचने हेतू सबसे निकटतम एवं सबसे लघुतम रास्ता बताया गया हैं तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 06 में

उपखण्ड अधिकारी,
लूणी.

Scanned by CamScanner

आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना दर्शाया गया है । अन्य जो वैकल्पिक रास्ता दिया जाना खसरा संख्या 08 में से दर्शाया गया है वह चाहे गये रास्ते की तुलना में अधिक लम्बा है तथा ए से बी प्रस्तावित रास्ते का रकबा केवल मात्र 05 बिस्वा ही बनता है तथा खसरा संख्या 08 में से यदि दिया जाता है तो उसका रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा बनता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहे गये नजरी नक्शे अनुसार ए से बी ही सबसे लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाना प्रतीत होता है । उक्त खसरे की डीएलसी दर 5,22,000/– प्रतिबीघा होना दर्शाया गया है ऐसी स्थिति में ए से बी जो रास्ता है उसका रकबा 05 बिस्वा बनने से अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार कुल राशि 1,30,500/– बनती है जो कि प्रार्थीगण द्वारा अदा किये जाने पर प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना उचित समझते हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 286 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 08 तक पहूंचने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये ए से बी भाग तक 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाता है । इसके बदलें में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या एक को उनके हिस्से की रूपयें 13,660, एवं अप्रार्थी संख्या दो से पांच प्रत्येक को 29,210 रूपयें जरिये चैक अथवा डीडी बनाकर न्यायालय में पेश करें । प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें । खसरा संख्या 286 में से रास्ते की भूमि रकबा 05 बिस्वा का नामान्तरकरण नियमानुसार तहसीलदार लूणी दर्ज करें एवं संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये ए से बी रास्ते की तरमीम राजस्व नक्शें में दर्ज की जावें तथा मौके पर रास्ता खुलवाया जाकर रास्ते के मुटाम स्थापित किये जावें ।

उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
गोपाल परिहार आर.ए.एस.

आदेश आज दिनांक 4/11/2021 लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
गोपाल परिहार आर.ए.एस.
लूणी

Scanned by CamScanner